

वन एवं वन्यजीव विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

23 जून, 2016

सं0 1142/14-2-2016-20(4)/2016-चूंकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या-6288/14-2-4(15)-74 दिनांक 02 मार्च, 1977 और 270/14-2-4(15)-74 दिनांक 22 फरवरी, 1978 द्वारा इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और चूंकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है;

और चूंकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं, जो राज्य सरकार की इच्छा पर वापस ली जा सकती हैं;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा-21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा-20, के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-4952/14-2-2008-20(17)/2008, लखनऊ, दिनांक 25 **uoEcj]** 2008 का अधिक्रमण करते हुये राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित ग्राम कोटा की 12440.413 हे0 भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से आरक्षित वन होगा।

अनुसूची 'क'

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	पुराने वन ब्लॉक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
सोनभद्र	रॉबर्टसगंज	अगोरी	कोटा			हेक्टेयर
				1	262-ख	0.110
				2	256	0.503
				3	103	0.180
					104	0.235
					योग..	0.415
				4	107	0.051
				5	199-क	2.257
				6	429-क	0.013
				7	752-च	0.013
				8	922-क	1.938

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज	अगोरी	कोटा	137	16145	0.013
				138	14983-ख	0.080
				139	16116	0.051
				140	425-ख मि	0.038
				141	3188	0.177
				142	3191-मि	0.180
					कुल योग ..	11962.306
			नये दन ब्लाक			
			1	111		4.710
				3185-क		22.445
				3187-मि०		0.669
				933		12.460
				3189		0.700
				3195-ख		2.433
				3196-क		7.561
					योग ..	50.988
			2	3198		21.100
				3199		21.250
				3200		35.760
					योग ..	78.110
			3	3201-ग मि०		7.176
				3202		14.350
				3203		16.266
				3204		10.150
					योग ..	47.942
			4	3205-क		11.000
				3206		11.000
				3211		14.850
				3212		24.000
				3108		4.110
				3208		0.720
					योग ..	65.680

[भाग 1]

7	1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर							हेक्टेयर
0.013	सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज	अगोरी	कोटा	5	3201-ग मि०.	1.770
0.080						2676-क	1.500
0.051						2602	6.604
0.038						2604	0.140
0.177						2607	0.100
0.180						112-क	0.056
11962.306						योग ..	10.170
4.710					6	425-ख	3.272
22.445						3191-मि०.	2.400
0.669						3213	0.350
12.460						3213	8.911
0.700						3231	2.680
2.433						3233	0.670
7.561						3247	0.160
50.988						योग ..	18.443
21.100					7	3290	0.150
21.250						3293-मि०.	0.216
35.760						3296-मि०.	0.450
78.110						3297	0.300
7.176						3298-मि०.	0.380
14.350						3300	0.060
16.266						3302	0.030
10.150						योग ..	1.586
47.942					8	3303	0.720
11.000						3304-मि०.	0.225
11.000						3305	0.010
14.850						3306	0.145
24.000						3307	3.620
4.110						3308	0.120
0.720						योग ..	4.840
65.680					9	3310-मि०.	0.210

1	2	3	4	5	6	हेक्टे
सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज	अगोरी	कोटा		3311	1.7
					3322-मि०.	0.3
					3365 -मि०.	0.1
					3318	0.4
					4070	4.1
					4079	0.6
					4083	0.4
					योग ..	8.1
				10	4084/1-मि०.	3.4
					4085	0.2
					4638	2.0
					4733	2.6
					5481	0.3
					5482	0.5
					5484	2.8
					योग ..	17.0
				11	5728-मि०.	34.0
					5732-मि०.	0.3
					5744-मि०.	8.2
					योग ..	42.5
				12	5745-मि०.	0.1
					5747	1.0
					5748	1.2
					5749	0.5
					5750	0.4
					5753	10.8
					योग ..	14.2
				13	5778-मि०.	15.6
					5819-मि०.	0.8
					5843	6.8
					5844	22.7

अनुसूची (ख)

अधिकार तथा सुविधाओं का विवरण ग्राम-कोटा, परगना-अगोरी, तहसील-राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र

कुल दूरी	वर्ग	विवरण	कोटा
4	1	वन ब्लॉक का नाम अथवा संख्या जिसके खुले भाग में दिए गये अधिकार प्रयोग किये जा सकते हैं	अगोरी
44.60	2	परगना का नाम	कोटा
161.20	3A	ग्राम का नाम जिसमें रियायतें प्राप्त हैं	2521
17.00	3B	मकानों की संख्या	13729
29.50	3C	जनसंख्या	2422
279.70	3D	परिवारों की संख्या	5000
1017.00	3E	हलों की संख्या	
73.90	4	निःशुल्क चरने वाले पशुओं की संख्या	
13.80	5A	मकानों के लिए चीड़ या साल	
9-80	5B	मकानों के लिए अन्य लकड़ी	
11-10	6	कृषि के लिए लकड़ी	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
21-70	7	सूखी जलाने की लकड़ी (सर बोझ)	
44-40	8	लोहारों के लिए कोयले की मात्रा	
68-80	9	अन्य प्रकार की लकड़ी	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
1792.50	10	चारे की घास	
	11	विक्री चारे की घास	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
	12	छप्पर छाने के लिए घास	
	13	भावर/मूज	
	14	चारे के लिए हरी पतियाँ	
	15	सूखी पतियाँ	
12.30	16	फल तथा जड़े	
11.10	17	छालें आदि	
8.30	18	बॉस (कोडिया) प्रति वर्ष	
1.80	19	इमारती पत्थर	
1.30	20	स्लेट का पत्थर	
4.90	21	चूने का पत्थर	
39.70	22	सिचाई के लिए नालियाँ	
	23	मिलों के लिए पानी	
	24	मत्स्य आखेट	
	25	शमशान घाट	
	26	अभ्युक्ति	

आज्ञा से,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव।

भाग 1

विज्ञापित-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वन एवं वन्यजीव विभाग

अनुभाग-2

10 जून, 2016 ई०

अधिसूचना

संख्या-1141/14-2-2016-20(3)/2016-चूंकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या-2850/14-ख-4(49)/69 दिनांक-29.09.1969 और 6865/14-2-4(11)/70 दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 द्वारा इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और चूंकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है;

और चूंकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं, जो राज्य सरकार की इच्छा पर वापस ली जा सकती हैं;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा-21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा-20 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-4953/14-2-2008-20(18)/2008, लखनऊ, दिनांक 25.11.2008 का अधिक्रमण करते हुये राज्यपाल, घोषणा करते हैं कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित ग्राम ओबरा-पनारी की 1912.751 हे० भूमि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से आरक्षित वन होगा।

अनुसूची 'क'

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	फारेस्ट ब्लॉक संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
सोनभद्र	रौबट्सगंज	अगोरी	ओबरा-पनारी	1	37	38.727
					84	39.066
					85	12.961
					86	10.700
					87	15.003
					88	20.000
					89	20.007
					90	12.000
					91-ख	33.080
					92	25.000
					93	26.280
					116	1.010
					117-क	37.303
					118-क	25.592
					119-क	17.134
					176-क	1.825
					178	0.800

17 दि. 7-13-B

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज	अगोरी	ओबरा-पनारी	1	1433	0.114
				22	1555	0.600
				23	1801-क	0.030
					1802-क	1.910
					1813	0.530
				योग .	3	2.470
				24	1826	0.038
				25	1927/63	0.200
				26	1144	1.265
				27	647-क मि०	0.215
				28	648	0.789
				29	640	0.444
				30	610-क	0.027
			योग .	30	646	1842.739
				1	212-मि०	0.072
					213-मि०	0.048
					214-मि०	0.891
					215	0.36
					216	1.48
					217-मि०	2.383
					218-मि०	0.048
					224-मि०	1.233
					225	0.86
				योग .	9	7.375
				2	610-क	23.883
					611-घ	0.013
					611	0.42
					621-मि०	0.05

17 डि० ग०-14-B

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
सोनभद्र	रॉबर्टसगंज	अगोरी	ओबरा-पनारी	2	640-मि०	1.686
					641-मि०	1.1
					642-मि०	31.12
					643-मि०	0.22
					644-मि०	0.126
				योग.	9	58.618
				3	645-मि०	0.5
					646-मि०	0.04
					647-मि०	1.915
					648-मि०	0.341
					780-मि०	0.1
					790-मि०	0.096
					791	1.027
				योग.	7	4.019
			कुल योग.	33	671	1912.751

वन सीमावद्ध तालिका ग्राम- ओबरा-पनारी परगना अगोरी, तहसील राबर्टसगंज, जिला सोनभद्र

फॉरेस्ट ब्लॉक नं० - 1

गाटा सं० 35, 36 व 37 के तिमेड़ा से अग्रिम कोण 313 -00 पार्श्व कोण 133 -00 दूरी 2 -1 0 जरीब पश्चिम उत्तर की ओर चलकर स्तम्भ संख्या 1 कायम किया गया ।

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	स्तम्भ की दिशा	अग्रिम कोण	पार्श्व कोण	नापी गयी दूरी	सीमा के प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1-2	गाटा संख्या 33, 35, 37 के तिमेड़ा पर	पूरब उत्तर	70-00	250-00	4-90	सीधी रेखा	
2-3	गाटा संख्या 33, 37 के मेड़ा पर	पूरब दक्षिण	100-00	280-00	3-90	सीधी रेखा	
3-4	गाटा संख्या 33, 37 के मेड़ा पर	पूरब	80-00	269-00	1-10	सीधी रेखा	
4-5	गाटा संख्या 33, 37 के मेड़ा पर	उत्तर पूरब	80-00	260-00	10-70	सीधी रेखा	
5-6	गाटा संख्या 33, 37 के मेड़ा पर	उत्तर पूरब	78-00	258-00	7-80	सीधी रेखा	

अनुसूची (ख)

अधिकार तथा सुविधाओं का विवरण ग्राम, ओबरापनरी-, परगना-अगोरी, तहसील राँबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र-।

1	वर्ग ब्लॉक का नाम अथवा संख्या जिसके खुले भाग में दिए गये अधिकार प्रयोग किये जा सकते हैं	ओबरा पनरी-
2	परगना का नाम	अगोरी
3अ	ग्राम का नाम जिसमें रियायतें प्राप्त हैं	ओबरा पनरी
3ब	मकानों की संख्या	325
3स	जनसंख्या	3125
3द	परिवारों की संख्या	720
3य	हलों की संख्या	750
4	निशुल्क चरने वाले पशुओं की संख्या	-
5अ	मकानों के लिए चीड़ या साल	-
5ब	मकानों के लिए अन्य लकड़ी	-
6	कृषि के लिए लकड़ी	-
7	सूखी जलाने की लकड़ी (सर बोझ)	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
8	लोहारों के लिए कोयले की मात्रा	-
9	अन्य प्रकार की लकड़ी	-
10	चारे की घास	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
11	बिक्री चारे की घास	-
12	छप्पर छाने के लिए घास	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
13	भावरमंज/	-
14	चारे के लिए हरी पतियाँ	-
15	सूखी पतियाँ	-
16	फल तथा जड़े	-
17	छालें आदि	-
18	बॉस (कोड़ियाप्रति वर्ष)	-
19	इमारती पत्थर	-
20	स्लेट का पत्थर	-
21	चूने का पत्थर	-
22	सिचाई के लिए नालियाँ	-
23	मिलो के लिए पानी	-
24	मत्स्य आखेट	-
25	शमशान घाट	-
26	अभ्युक्ति	-

आज्ञा से,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव।

संशोधन

11 मार्च, 2016 ई0

सं0 16/2016/462/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015—श्रीमती रीता भदौरिया, उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर को श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये नियुक्त करने तथा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, गाजियाबाद के पद पर तैनात करने के सम्बन्ध में निर्गत श्रम अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या 11/2016/393/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015, दिनांक 01 मार्च, 2016 के प्रथम प्रस्तर में "पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, गाजियाबाद" के स्थान पर "पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय-1 (प्रथम), गाजियाबाद" पढ़ा जाये एवं विज्ञप्ति संख्या 11/2016/393/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015, दिनांक 01 मार्च, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
परशुराम प्रसाद,
विशेष सचिव।

28 मार्च, 2016 ई0

सं0 18/2016/392/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर को औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये नियुक्त करने तथा पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ के पद पर तैनात करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति/सेवायें उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन् 1947 का अधिनियम, संख्या 28), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (सन् 1947 का अधिनियम संख्या 14) के सुसंगत प्राविधानों तथा उ0प्र0 श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी (नियुक्ति एवं नियोजन की शर्तें) नियमावली, 1996 तथा इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों में निहित प्राविधानों के अधीन होगी।

3— श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर की उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन सिविल मिस0 याचिका संख्या 7206/2005, चन्द्रशेखर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

03 मई, 2016 ई0

सं0 21/2016/615/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर को औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये नियुक्त करने तथा पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ के पद पर तैनात करने सम्बन्ध में निर्गत श्रम अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या 18/2016/392/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015, दिनांक 28 मार्च, 2016 के प्रथम एवं तृतीय प्रस्तर में "श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव" के स्थान पर "श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव" पढ़ा जाये एवं विज्ञप्ति संख्या 18/2016/392/छत्तीस-2-16-पी0ओ0/2015, दिनांक 28 मार्च, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव।

वन एवं वन्यजीव विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

10 जून, 2016 ई0

सं0 1140/14-2-2016-20(2)/2016—चूँकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 5380/14-ख-4(27)/70, दिनांक 10 सितम्बर, 1970 द्वारा नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है।

और चूंकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया। किन्तु अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं, जो राज्य सरकार की इच्छा पर वापस ली जा सकती हैं।

अतएव, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि आरक्षित वन होगा—

अनुसूची 'क'

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6
सोनभद्र	राबट्सगंज	अगोरी	पड़रछ		हेक्टेयर
				1682-मि०	0.190
				1684-मि०	0.054
				1697-मि०	0.025
				1705-मि०	0.089
				1706	0.012
				1707 / 2-मि०	0.130
				1707 / 3-मि०	0.208
				1707 / 4-मि०	0.124
				1707 / 6	0.190
				1707 / 7	0.291
				2378 / 3	0.132
				2380	0.051
				2381	0.070
				2391-मि०	0.094
				2479	9.150
				2576	0.392
				2484 / 1-मि०	0.170
				2484 / 12-मि०	0.505
				2484 / 13-मि०	0.210
				2484 / 14	0.164
				2484 / 16-मि०	34.689
				2484 / 17-मि०	2.681
				2484 / 18	0.594
				2514	0.527
				2528	0.152
				2592-मि०	0.164
योग				51.064	

सारांश

क्रमांक	फारेस्ट ब्लॉक संख्या	कुल स्तम्भों की संख्या	दूरी (जरीब में)
1	2	3	4
1	फारेस्ट ब्लॉक नं० 1	67	227.40
2	फारेस्ट ब्लॉक नं० 2	4	25.20
3	फारेस्ट ब्लॉक नं० 3	19	21.80
4	फारेस्ट ब्लॉक नं० 4	8	8.40
5	फारेस्ट ब्लॉक नं० 5	17	18.30
6	फारेस्ट ब्लॉक नं० 6	6	8.50
7	फारेस्ट ब्लॉक नं० 7	4	8.20
8	फारेस्ट ब्लॉक नं० 8	10	16.90
9	फारेस्ट ब्लॉक नं० 9	22	20.40
योग ..		157	355.10

अनुसूची (ख)

अधिकार तथा सुविधाओं का विवरण ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील रावटगंज, जनपद सोनभद्र

1	वन ब्लॉक का नाम अथवा संख्या जिसके खुले भाग में दिये गये अधिकार प्रयोग किये जा सकते हैं।	पड़रछ
2	परगना का नाम	अगोरी
3-अ	ग्राम का नाम जिसमें रियायतें प्राप्त हैं	पड़रछ
3-ब	मकानों की संख्या	2322
3-स	जन संख्या	13204
3-द	परिवारों की संख्या	2428
3-य	हलों की संख्या	4700
4	निःशुल्क चरने वाले पशुओं की संख्या	..
5-अ	मकानों के लिये चीड़ या साल	..
5-ब	मकानों के लिये अन्य लकड़ी	..
6	कृषि के लिये लकड़ी	..
7	सूखी जलाने की लकड़ी (सर बोझ)	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
8	लोहारों के लिये कोयले की मात्रा	..
9	अन्य प्रकार की लकड़ी	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
10	चारे की घास	..
11	बिक्री चारे की घास	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
12	छप्पर छाने के लिये घास	..
13	भावर/मूँज	..
14	चारे के लिये हरी पत्तियां	..
15	सूखी पत्तियां	..
16	फल तथा जड़ें	..
17	छालें आदि	..
18	बांस (कोडिया) प्रति वर्ष	..
19	ईमारती पत्थर	..
20	स्लेट का पत्थर	..
21	चूने का पत्थर	..
22	सिंचाई के लिये नालियां	..
23	मिलों के लिये पानी	..
24	मत्स्य आखेट	..
25	शमशान घाट	..
26	अभ्युक्ति	..

आज्ञा से,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव।

नाक बन्द

नाक नं०

संख्या 5

116.00

296.00

जरीब पर

नाक नं०

0 संख्या

आ।

बन्द